वाद सं. 28/13 सज्जनदेवी/नगरसुधार न्यास

13–8–2019

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी. तथा एक अन्य प्रार्थनापत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी ने अपने प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी. के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड इकरारनामा दि. 24–5–89 के जरिये क्रय किया गया था जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत है। मूल इकरारनामा गुम हो जाने से उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट प्रतिवादी सं. 3 के पति जिनेश कोठारी द्वारा पुलिस थाना क्रिश्चनगंज अजमेर में दिनांक 14–10–2002 को दर्ज करवाई जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है तथा वादग्रस्त भूखण्ड बाबत सम्भागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा राजस्व अपील सं. 103/2002 में पारित निर्णय दिनांक 28–1–2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वादी के भूखण्ड बाबत जानकारी की नोटशीट तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन सं. 5169/05 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही हैं जिन्हें प्रतिवादी सं. 3 प्रस्तुत करना चाहता है इसिलए उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने की कृपा करें।

वादी ने विरोध में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत दस्तावेज में से ज्यादातर काफी पुराने दस्तावेज हैं जिन्हें पूर्व में प्रस्तुत नहीं कर जिरह हेतु अवसर लिये जाते रहे और अब विलम्ब करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी को जवाबदावे के साथ दस्एतावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में इकरारनामा गुम होने व सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज के संबंध में कोई कथन नहीं

किया गया है इसलिए प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की ओर से एक अन्य प्रार्थनापत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम प्रस्तुत तर्क प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दस्तावेजात को द्वितीय साक्ष्य के रूप में रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया गया।

इसके विरोध में वादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इकरारनामा दिनांक 24–5–89 अचल सम्पत्ति बाबत होने के परिणामस्वरूप समुचित स्टाम्प डयूटी पर निष्पादित किया जाना चाहिए था तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीबद्ध होना चाहिए था जिसके अभाव में उक्त इकरारनामा विधि के प्रावधानों के तहत ग्रहण योग्य नहीं है। नगर सुधार न्यास के समझौता समिति का आदेश 21–5–03 द्वितीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। वांछित दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधि. की धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने की कृपा करें।

अपने तर्को के समर्थन में वादी की ओर से आदरणीय न्यायिक दृष्टांत 2038(2) डब्लूएलसी. (एससी.) सिविल 784 ओमप्रकाश बनाम लक्ष्मीनारायण प्रस्तुत किया गया, जिसका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों पर तर्क सुनने के पश्चात जो तर्क वादी की ओर से पेश किये गए हैं उनमें मुख्य तर्क यही था कि इकरारनामा प्रतिवादी ने 24–5–89 का पेश किया था वह न तो पूर्णतः स्टाम्पित है और न रजिस्टर्ड है। इसलिए वह साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है, इस संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया था। दावे का जब अवलोकन किया गया तो वादी ने उक्त दावा प्रतिवादी के पक्ष में जो पट्टा विलेख यूआईटी. द्वारा जारी किया गया, उक्त पटटा विलेख दिनांक 29–1–2013 को निरस्त

करवाने बाबत दावा पेश किया गया तथा जो उक्त इकरारनामा दिनांक 24–5–89 का बताया गया है वह उसी जमीन का इकरारनामा बताया गया है तथा उसके आधार पर पटटा जारी हो चुका है तो प्रथम दस्तावेज इकरारनामा नहीं माना जा सकता। प्रथम दस्तावेज उक्त पटटा ही माना जाएगा जो दिनांक 29–1–2013 जो जारी किया गया था। इसलए उक्त इकरारनामा का कोई वजूद इस श्रेणी में नहीं है क्यों कि प्रतिवादी द्वारा उक्त इकरारनामा दिनांक 24–5–89 के परिप्रेक्ष्य में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, केवल मात्र वह पेश कर अपना पक्ष रखना चाहता है तथा दस्तावेज को प्रदर्शित करवाना चाहता है। जो मूल इकरारनामा उसका खो चुका है तथा उक्त इकरारनामे की फोटोप्रति पूर्व से ही न्यायालय में पेश है। उक्त इकरारनामा कूटरचित हो या बाद में बनाया गया हो, ऐसा कोई तथ्य वादी ने प्रकट नहीं किया है और न ही वादी ने कोई उज्र उठाया है कि उक्त इकरारनामा फर्जी हो। इसलिए उक्त इकरारनामा दिनांक 24–5–89 फर्जी नहीं माना जा सकता। चूंकि हस्तगत वाद वादी ने पटटा विलेख के केंसिलेशन का पेश किया है तथा प्रतिवादी ने इकरारनामा दिनांक 24–5–89 में कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए उक्त इकरारनामा दिनांक 24–5–89 स्टाम्पित या रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। यदि उक्त इकरारनामा में प्रतिवादी स्पेसिफिक परफोर्मेंस का दावा प्रस्तुत करता तो अवश्य ही उक्त दस्तावेज स्टाम्पित या रजिस्टर्ड होना आवश्यक था लेकिन हस्तगत वाद में कोई अनुतोष इकरारनामा बाबत नहीं चाहा है। केवल मात्र उसे पेश करना चाहा गया है इसलिए वादी की ओर से जो आदरणीय न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया है उससे वादी लाभान्वित नहीं होता है। इसलिए धारा 65 की परिधि में उक्त दस्तावेज को लिया जा सकता है। हालांकि उक्त प्रार्थनापत्र के साथ दस्तावेज प्रतिवादी ने विलम्ब से पेश किये हैं,

लेकिन विलम्ब का शमन कोस्ट के जरिये किया जा सकता है।

इसके अलावा प्रतिवादी ने उक्त इकरारनामा जो खो गया है, उसके बाबत पुलिस थाना क्रिश्चनगंज अजमेर में एक रपट दिनांक 24–10–2000 को दर्ज करवाई थी उसकी प्रति पेश करना चाहा गया है तथा नगरसुधार न्यास अजमेर की समझौता समिति के आदेश दिनांक 21–5–2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20–7–19 की की प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाना चाहा गया है। उक्त तीनों दस्तावेज द्वितियक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, जिनको कूटरचित नहीं माना जा सकता। उक्त सभी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित विभाग व न्यायालय से प्राप्त कर पेश की गई हैं जो कुछ दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किये गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जा सकता हैं क्यों कि वे मूल दस्तावेज से कम्पेयर करके ही प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित सूचना अधिकारी द्वारा जारी की जाती है इसलिए उसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, इसमें विधिक रूप से कोई बाधा नहीं है तथा सम्भागीय आयुक्त के निर्णय तथा अन्य आदेशिकाएं पेश की गई हैं, वे भी सूचना के अधिकार के तहत ही प्राप्त की गई हैं इसलिए उन्हें भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता हैं हालांकि सभी दस्तावेज पुराने हैं जिन्हें प्रतिवादी पूर्व में पेश कर सकता था लेकिन उक्त विलम्ब को कोस्ट के जरिये शमन किया जा सकता है।

लिहाजा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी. तथा धारा 65 साक्ष्य अधिनियम कुल 2000/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किये जाकर प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक **17–8–2019** को पेश हो।